

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

नाम न्यायालय

प्रतिवादीगण

वादी लाल


बनाम

सरकार व अन्य

रण संख्या 142/23 (2023/

online number) अन्तर्गत धारा 88,188 आर. टी. एक्ट

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.12.2023	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26/12/2023 को पेश हो।	
	06/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. करे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/07/24 को पेश।	
	11/01/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. करे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/2/24 को पेश।	
	21/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. करे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/2/24 को पेश।	
	22/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. करे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/3/24 को पेश।	
	11/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. करे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/4/24 को पेश।	


उपखण्ड अधिकारी
बस्सी, जयपुर

फर्द अहकाम

पृष्ठ

बनाम सलवार

नाम न्यायालय
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>उक्त आदेशों के अंतर्गत 7 दिनांक 2018 में कसमी निवासी अलवर के निवासी का नाम सलवार का नाम के स्थान पर राजा के पुत्र सुरलाल राजा के उद्देश्य के लिए जाने है तदनुसार कसमी को अपेश हो जाता है कि उक्त गुहार जारी का नाम वर्तमान राजा रिमांड में उद्देश्य के वर्तमान राजा रिमांड को अपेश करे। उक्त गुहार पालना हेतु तदनुसार कसमी को तबदीर जारी हो। पत्रावली फौजल थुमार दीवार कड तकमाल दाखिल फरार हो</p>	